कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

क्रमांक : 50 दिनांक : 12.05.2025

संशोधित कार्यालय–आदेश

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश क्रमांक सामान्य/XV/54/2020/3325 दिनांक 30.05.2020 के अनुसरण में व माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय राजसमन्द के निर्देशानुसार व उनसे विचार विमर्श करने के पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस. एलपी (किमि.) 5073/2011 State of Karnataka by Novavinakere Plolice Vs- Shivanna @ Tarkari में पारित निर्देशों की पालना में राजसमन्द न्याय क्षेत्र में महिला न्यायिक अधिकारी के पदस्थापन को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2)/ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 (2) में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में **राजसमन्द न्याय क्षेत्र के समस्त** थाना क्षेत्र के थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दस्तयाब/डिटेनशुदा नाबालिग बालक/बालिका के विधिक कार्यवाही में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेखबद्ध करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश होने पर विधि अनुसार कार्यवाही के लिए इस न्यायालय के आदेश क्रमांक 21 दिनांक 06.02.2025 से न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द के दिनांक 10.02.2025 से 06 माह के लिए मातृत्व अवकाश पर जाने के कारण उक्त दिनांक 10.02.2025 से अग्रिम आदेश तक न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द को अधिकृत किया गया था परन्तु वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती अनिता शर्मा, आर.जे.एस. का पदस्थापन न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द में कर दिया गया है** जिससे राजसमन्द न्याय क्षेत्र के **केलवाडा, दिवेर, देवगढ, भीम, आमेट, चारभुजा, बार** थाना क्षेत्र के थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दस्तयाब/डिटेनशुदा नाबालिग बालक/बालिका के विधिक कार्यवाही में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेखबद्ध करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश होने पर विधि अनुसार कार्यवाही के लिए न्यायालय **अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द को अधिकृत किया जाता है।** न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द के अवकाश पर होने पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द को एवं उक्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने पर न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), राजसमन्द को अधिकृत किया जाता है। **राजसमन्द न्याय क्षेत्र के** राजनगर, कांकरोली, केलवा, नाथद्वारा, श्रीनाथ मंदिर मण्डल, खमनोर, देलवाडा, रेलमगरा, कुंवारिया थाना क्षेत्र के थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी के द्वारा प्रकरण में दस्तयाब/डिटेनशुदा नाबालिग बालक/बालिका के विधिक कार्यवाही में धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेखबद्ध करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश होने पर विधि अनुसार कार्यवाही के लिए न्यायालय **न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द को अधिकृत किया जाता है।** न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द के अवकाश पर होने पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द को एवं उक्त पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने पर न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण), राजसमन्द को अधिकृत किया जाता है।

sd/-
(ममता सैनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द
दिनांक : 12.05.2025

क्रमांक : स्था./2025/ 547

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द
2. अति. मुख्य न्यायिक मजि., राजसमन्द/नाथद्वारा/देवगढ़/भीम/रेलमगरा
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द/नाथद्वारा/रेलमगरा/आमेट/कुम्भलगढ़
4. अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा
5. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज), राजसमन्द/नाथद्वारा
6. ग्राम न्यायालय, रेलमगरा।
7. अध्यक्ष, बार संघ राजसमन्द/नाथद्वारा/रेलमगरा/आमेट/कुम्भलगढ़/देवगढ़/भीम
8. पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द (सभी थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत)
9. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय को ई–कोर्ट्स राजसमन्द वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कार्यालय प्रति

Mamta Saini
(ममता सैनी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द